संख्या– /IV-3/2016–04(115)/2015

प्रेषक,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्ध कुम्भ मेला–2016,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांक 31 मई, 2016

विषय–अर्द्ध कुम्भ मेला–2016 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कुम्भ मेला क्षेत्र हरिद्वार में अस्थायी शौचालय, मूत्रालय, स्नानागार Supply, installation, maintenance, housekeeping & de installation **कार्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 162/अ0कु0मे0–16/ बजट/ 2016–17, दिनांक 18.04.2016 तथा शासनादेश संख्या–3047/IV-3/2015–04(115)/ 2015, दिनांक 23.12.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्द्ध कुम्भ मेला क्षेत्रान्तर्गत 05 जोन एवं 32 सैक्टर्स में अस्थायी शौचालय, मूत्रालय एवं स्नानागार की Supply, installation, maintenance, housekeeping & installation आदि कार्य हेतु शासनादेश संख्या–3047/IV-3/2015–04(115)/2015, दिनांक 23.12.2015 के द्वारा प्रदान की गयी रू0 2320.83 लाख (रू0 तेईस करोड़ बीस लाख तेरासी हजार मात्र) की स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) को समायोजित करते हुये द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़) अवमुक्त करते हुये व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है:–

(i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(viii)आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

(ix) निर्माण कार्य का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

(xi) अस्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। साथ ही यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।

(xii) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण मेलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2217– शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–0109–हरिद्वार अर्द्ध कुम्भ मेला, 2016 हेतु अवस्थापना सुविधा की मानक मद संख्या–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–83/XXVII(2)/2016, दिनांक 30 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या–एस01605130333 एवं एच01605133364 दिनांक 31 मई, 2016 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,

(डी0 एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 918 (1)/IV-3/2016–04(115)/2015, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Urban Development (S054)

आवंटन पत्र संख्या - **766/16-04(115)2015**

अनुदान संख्या - **013**

अलोटमेंट आई डी - **S1605130333**

HOD Name - Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

आवंटन पत्र दिनांक -31-May-2016

1: **लेखा शीर्षक** 2217 - शहरी विकास

800 - अन्य व्यय

09 - हरिद्वार अर्द्धकुम्भ मेला 2016 हेतु अवस्थापना सुविधा

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	50000000	50000000
	0	**50000000**	**50000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 50000000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

आवंटन पत्र संख्या - 766/16-04(115)2015

अनुदान संख्या - 013

अलोटमेंट आई डी - H1605133364

आवंटन पत्र दिनांक "31-May-2016

DDO Name - Meladhikari KumbhHaridwar (2871) , Treasury - Haridwar (6500)

1: लेखा शीर्षक 2217 - शहरी विकास
03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
800 - अन्य व्यय
01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
09 - हरिद्वार अर्द्धकुम्भ मेला 2016 हेतु अवस्थापना सुविधा

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	50000000	50000000
	0	50000000	50000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 50000000